रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1982/अग्रहायण 10, 1904

No. 363] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1982/AGRAHAYANA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Recd. in C.R.
4 JAN 1983
182 CR

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1982

सा० का० नि० 729 (अ)—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1954 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों पर उस तारीख से जिसको, उस राजपत्र की जिसमें यह प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए हैं, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियम की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1982 है,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के भाग IX में नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"51-क अनुज्ञप्तियों का प्ररूप-किसी समुद्री पत्तन, विमान, पत्तन, रेल स्टेशन या रेल स्टेशन समूह (जिसके अन्तर्गत रेल कालोनी कार्यालय, यार्ड, माल-शेड, यानान्तरण-शेड, कर्मशाला और रेल से संबधित या उसके प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन द्वारा अनुरक्षित और उसके स्वामित्वाधीन अन्य संकर्म भी है) की अधिकारिता के भीतर आने वाले स्थानीय क्षेत्रों में अनुज्ञप्तियाँ जारी करने के लिए सशक्त कोई प्राधिकारी, संबंधित राज्य की, जिसमें ऐसा कोई समुद्री पत्तन, विमान पत्तन या रेल स्टेशन स्थित है, सरकार द्वारा विहित रीति में अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा और उक्त सरकार द्वारा अनुज्ञापन के प्रयोजन के लिए विहित प्ररूपों को अपनाएगा।"

[सं० पी० 15015/26/80-पी०एच० (एफ० एण्ड एन०) पी०एफ०ए०]
आर० के० सियल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1982

G.S.R. 729(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in

exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of Official Gazette containing the draft rules are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Part IX of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, after rule 51, the following rule shall be inserted; namely :—

"51.A—Form of Licences—A licensing authority empowered to issue licences in local areas falling within the jurisdiction of a sea-port, airport, a railway station or a group of railway sations (including any railway colony office, yard, goods-shed, transhipment shed, workshop and other works owned and maintained by the Railway Administration, for the purpose or in connection with the Railways), shall exercise his functions in the manner prescribed by the State Government concerned in which such sea-port, airport, or railway station, is situated and adopt the forms prescribed by that Government for the purpose of licensing."

[No. P-15015/26/80-PH (F&N) PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982